

निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 35/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

G.C.M.S.No - 2024/143

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर

.....प्रार्थी

1. श्री जगदीश प्रसाद मीना पुत्र श्री भजन लाल मीना निवासी वार्ड नं. 11 तहसील चौथ का बरवाडा।
2. श्री राजेश कुमार मीना पुत्र श्री रामफूल मीना निवासी अभयपुर चौथ का बरवाडा
3. श्री भजन लाल मीना पुत्र श्री रतीराम मीना निवासी वार्ड नं. 11 तहसील चौथ का बरवाडा
4. श्रीमती मदनी देवी पत्नी श्री भजनलाल मीना निवासी चौथ का बरवाडा
5. श्री राकेश कुमार मीना पुत्र श्री पांचूलाल मीना निवासी श्यामोता

.....अप्रार्थी / ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

--: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.12.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री जगदीश प्रसाद मीना पुत्र श्री भजन लाल मीना निवासी वार्ड नं. 11 तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा नं. 45 ग्राम अभयपुर तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका सीमांकन उत्तर में कैलाश, भरतलाल का बाडा, दक्षिण में भजन का बाडा, पूर्व में कैलाश भरत का बाडा व पश्चिम में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 4,00,000 (चार लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने साथ ही दिनांक 27.06.2024 को समाचार पत्र में साया करवाये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 16.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया साथ ही दिनांक 27.06.2024 को समाचार पत्र में साया करवाया गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 45 ग्राम अभयपुर तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका सीमांकन उत्तर में कैलाश, भरतलाल का बाडा, दक्षिण में भजन का बाडा, पूर्व में कैलाश भरत का बाडा व पश्चिम में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 13-11-2024 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)

जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

